लेख पट्टानामा मियादी अरसा 30 साल दिनांक 06–03–2020 ता 05–03–2050 तक सालाना लगान 20,000 रूप्ये सालाना लगान पर दर बढोतरी 5 प्रतिशत हर साल
स्टाम्प फीसः–3500 रूप्ये STAMP CERTIFICATE NO-FBE2020C16 GRN NO-63569823

अराजी तादादी 5 कनाल 18 मरला वाक्या मौजा गांव हडोली तहसील रतिया जिला फतेहाबाद का पटटा किया गया है। रोबरू सब रजिस्ट्रार साहब कुछ ना लेना है।स्टाम्प निर्धारित कीमत पर लगाया गया है।

जो कि हम, **1–जगजीत सिंह पुत्र गुजर सिंह पुत्र फुमन सिंह वा 2–श्रीमति सिमरनजीत कौर पत्नी वा 3–गुरपाल सिंह 4–गुरकीरत सिंह पुत्रान जगजीत सिंह पुत्र गुजर सिंह** निवासीयान गांव हडोली तहसील रतिया जिला फतेहाबाद फरीक अव्वल(पटटा देहिन्दागण) वा **हरी औम पुत्र हरनेक सिंह पुत्र बैशाखी राम निवासी गांव कुनाल तहसील रतिया जिला फतेहाबाद फरीक दोयम(पटटा गरिन्दा)** के है। जो कि फरीक अव्वल अराजी वाक्या मौजा हडोली तहसील रतिया जिला फतेहाबाद मुन्द्रजा जमाबन्दी साल 2018–19 की रूह से **खेवट नम्बर 235 मिन** खतौनी नम्बर 316 मिन नम्बर खसरा 138//11/2(5–18) किते 1 रकबा तादादी **5 कनाल 18 मरला** का हर चार समभाग मे मालिक वा काबिज है। जिस पर किसी प्रकार का कोई भार ना है। जिसको कि फरीक अव्वल हर प्रकार से मुन्तकिल कर सकता है। इसलिये आज फरीक अव्वल ने अपने ठीक होश हवास में अपनी खुशी वा रजामन्दी से बिना किसी दबाव के अपनी अराजी उपरोक्त तादादी 5 कनाल 18 मरला को बामय सर्व अधिकारों के मुबलिग 20,000 रूपये (बीस हजार रूपये) सालाना पट्टा पर अरसा 30 साल अज तिथि 06–03–2020 ता 05–03–2050 तक के लिये फरीक दोयम को दे दी है। और पहले साल की रकम पट्टा मुबलिग 20,000 रूपये फरीक अव्वल ने फरीक दोयम से नकद प्राप्त कर लिये है। फरीक दोयम हर साल सालाना पट्टा की रकम माह अप्रैल में फरीक अव्वल को अदा करता रहेगा। कब्जा अराजी फरीक दोयम को दे दिया है। फरीक दोयम ने इस पट्टा को स्वीकार करके कब्जा अराजी

Jagjit Singh सिमरनजीत कौर Gurpal Singh Gurkirat singh

प्रलेख नः 4343 दिनाँक 09/03/2020

डीड सबंधी विवरण

डीड का नाम LEASE
तहसील/सब-तहसील रतिया
गांव/शहर हडौली

धन सबंधी विवरण

राशि जिस पर स्टाम्प डयूटी लगाई 38,000.00 रुपये स्टाम्प डयूटी की राशि 3,500.00 रुपये

रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 1,000.00 रुपये E-Challan No.63574026 पेस्टिंग शुल्क 3.00 रुपये

Drafted By: राजेश गोदारा वकील Service Charge: 200.00 रुपये

यह प्रलेख आज दिनाँक 09/03/2020 दिन सोमवार समय 11:34:00AM बजे श्री/श्रीमती/कुमारी जगजीत सिह पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी गुजर सिह निवासी हड़ौली द्वारा पँजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

उप / सयुंक्त पँजीयन अधिकारी
रतिया

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
श्री जगजीत सिंह, श्रीमति सिमरनजीत कौर, गुरपाल सिंह, गुरकीरत सिह

उपरोक्त पटटा देने वाला व श्री/श्रीमती/कुमारी हरि औम पटटा लेने वाला हाजिर है। प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यो को दोनो पक्षो ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया। दोनो पक्षो की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी गंगा राम न. पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी हमजापूर व श्री/श्रीमती/कुमारी जगसीर सिह पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी गुजर सिह निवासी हड़ौली ने की। साक्षी नः 1 को हम नम्बरदार/अधिवक्ता के रूप मे जानते है तथा वह साक्षी नः 2 की पहचान करता है।

दिनाँक 09/03/2020

उप / सयुंक्त पँजीयन अधिकारी
रतिया

यह प्रमाणित किया जाता हे कि पंजीकृत वसीका की स्कैन प्रति jamabandi.nic.in पर डाल दी गई है ।

उप / सयुंक्त पँजीयन अधिकारी
रतिया

मौका पर हासिल कर लिया है और दोनो फरीकेन के मध्य बतौर पटटेदार निम्न शर्ते करार पाई है।

1—फरीक दोयम इस रकबे का सालाना लगान हर साल के अप्रैल महीने मे फरीक दोयम अदा करने पर हर प्रकार से पाबन्ध रहेगा वासूरत वायदा खिलाफी फरीक अव्वल को अपना लगान बजरीये अदालत से वसुल प्राप्त करने का हक हासिल होगा ऐसी सूरत मे उसका हर्जा खर्चा अदालत जो भी होगा वो फरीक दोयम करने करने पर शरायत हर प्रकार से पाबन्ध रहेगा।

2—यह कि फरीक दोयम इस रकबा का प्रयोग Indian Oil Corporation Ltd, का पम्प लगाने के लिए प्रयोग कर सकेगा और उक्त रकबा पर पम्प का आफिस बना सकता है तेल टैंक डाल सकता है, बिजली, पानी आदि पैट्रोल पम्प वास्ते हर जरूरतो को पुरा कर सकता है।

3—यह है कि पटटेदार पैट्रोल पम्प कम्पनी के साथ सब लीज कर सकेगा या अन्य फर्म को ट्रांस्फर कर सकेगा।

4—मियादी पटटा अर्सा की मियाद गुजरने के बाद फरीक दोयम यानि पटटेदार का इस रकबे से बतौर पटटेदार कोई तालुक वा वास्ता ना रहेगा। पटटा मियाद पुरी होने के बाद फरीक दोयम बिना उजर रकबा खाली करके कब्जा वापिस फरीक अव्वल मालिक को देने का जुम्मेवार होगा। इस पट्टानामा मियादी के फरीकैन वा उसके वारसान भी पाबन्द होंगे। इन्तकाल पट्टा मियादी कागजात माल में बाहक पट्टेदार इसी दस्तावेज हजा की बिनाह पर दर्ज वा मन्जूर फरमाया जावे। मामला सरकारी जो भी देय होगा वो अब फरीक दोयम पट्टेदार अदा करेगा। खर्चा स्टाम्प वा रजिस्टरी आदि सब फरीक दोयम ने बरदास्त किया है। अगर किसी कारण अराजी उपरोक्त का कब्जा फरीक दोयम पट्टेदार से निकल जावे तो उस सूरत में फरीक दोयम के तमाम हर्जा वा खर्चा का फरीक अव्वल जुम्मेवार होगा।

5—यह कि यदि फरीक दोयम मियाद समाप्त होने के बाद कब्जा वापस फरीक अव्वल के हवाले नही करेगा तो फरीक अव्वल को हक होगा कि वह फरीक दोयम के खिलाफ कानुनी कार्यवाही करे जिसकी तमाम हर्जा खर्चा की जिम्मेवारी फरीक दोयम की होगी।

Jagjit Singh ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ Gurpiratsingh Gurpal

अतः यह पट्टानामा मियादी अरसा 30 साल तहरीर करवा दिया है कि सनद रहे और समय पर काम आवे। लेख पट्टानामा हजा सुन वा समझ लिया है जो कि ठीक है और स्वीकार है । दिनांक 06–03–2020

फरीक अव्वलः–

जगजीत सिंह आ0 7024 0840 5204 PAN No-ADZPS1739G Jagjit

सिमरनजीत कौर आ0 8541 2503 9955 PAN No-GSUPK0821F सिमरनजीत कौर

गुरपाल सिंह आ0 5272 9092 0143 PAN No-DPPPS9303D Gurpal

गुरकीरत सिंह आ0 2871 3515 7513 PAN No-FIBPS0842E Gurkiratsingh

फरीक दोयमः–हरी ओम आ0 6274 3705 5143 PAN No-FIBP

Hari om

गवाहः–गंगाराम नम्बरदार हमजापुर

गवाहः–जगसीर सिंह पुत्र गुजर सिंह निवासी गांव हडोली तहसील रतिया जिला फतेहाबाद।

आ0

Jagseer Singh

यह लेख पट्टानामा मियादी फरीकैन के कहने के अनुसार उनके वा गवाहान. के राबरू मेरे द्वारा बोल कर टाईप वा तैयार करवाया गया। लेख पढ़ कर सुनाया वा समझाया गया जिसे सुन वा समझ कर सही माना। ड्राफटिड बायः–राजेश गोदारा अधिवक्ता रतिया।

06/03/2020

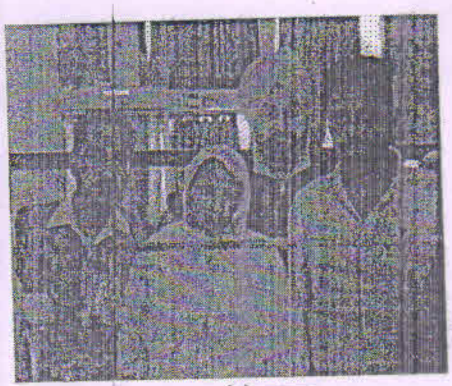

पटटा देने वाला

पटटा लेने वाला

गवाह

पटटा देने वाला	जगजीत सिह		Jagjit Singh
पटटा देने वाला	श्रीमति सिमरनजीत कौर		ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ
पटटा देने वाला	गुरपाल सिह		Gurpal Singh
पटटा देने वाला	गुरकीरत सिह		Gurkirat singh
पटटा लेने वाला	हरि औम		Hariom
गवाह	गंगा राम न.		[illegible]
गवाह	जगसीर सिह		Jagseer Singh

eg. No.	Reg. Year	Book No.
4,343	2019-2020	1

<u>प्रमाण-पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख क्रमांक 4,343 आज दिनाँक 09/03/2020 को बही नः 1 जिल्द नः 180 के पृष्ठ नः 109 पर पंजीकृत किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही सख्या 1 जिल्द नः 3,395 के पृष्ठ सख्या 44 से 46 पर चिपकाई गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहो ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगुठा मेरे सामने किये है ।

दिनाँक 09/03/2020

उप / संयुक्त पँजीयन अधिकारी
रतिया